रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939
No. 1337] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ.1514(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री सुजीत श्यामचौधरी, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), फ्लैट जी 09.2, एनबीसीसी विबग्योर टावर्स, न्यू टाउन, राजारहट, कोलकाता- 700 156.	अध्यक्ष
2.	प्रो. ईडीए उदय भास्कर रेड्डी, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम – 530 003.	सदस्य
3.	वन संरक्षक, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली, दमन।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त राजपत्र अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को सहायता के प्रयोजन के लिए दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र गठित करती है (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1.	डा. (श्रीमती) वैशाली जे. नाशीककर, फ्लैट नं. 604, प्लॉट नं. 2, बाबा हेरिटेज, सेक्टर-44ए, नेरुल (पश्चिमी), नवी मुंबई-400 706, महाराष्ट्र	अध्यक्ष
2.	श्री अरविन्द विशपुटे, 7-शब्दब्रह्मा, पुरनावद नगर, गंगापुर रोड, नासिक – 422 013 महाराष्ट्र	सदस्य
3.	सहायक नगर योजनाकार, दादरा और नागर हवेली	सदस्य
4.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), दादरा और नागर हवेली, सिलवासा	सचिव

IndiaCode

6. यूटीईएसी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. यूटीईएसी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना तारीख 14 सितंबर, 2006 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. यूटीईएसी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासन, प्राधिकरण और यूटीईएसी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और उक्त सचिवालय यूटीईएसी प्राधिकरण को सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन है और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

10. प्राधिकरण, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्यों तथा यूटीईएसी, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार संदेय होंगे।

[फा. सं. जे-11013/42/2007-आई.ए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. 1514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), the Central Government hereby constitutes the Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (UTEIAA), Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli (hereinafter referred to as the Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli) comprising of the following three Members, namely:—

1.	Shri Sujit Shyamchoudhary, Indian Forest Service (Retired), Flat G09.2, NBCC, VIBGYOR Towers, New Town, Rajarhat, Kolkata - 700 156.	Chairman
2.	Prof. EDA Udaya Bhaskar Reddi , Department of Environmental Sciences, Andhra University, Visakhapatnam - 530 003.	Member
3.	Conservator of Forests, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli, Daman.	Member-Secretary

2. The Chairman and Members of the Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification dated 14th September, 2006.

4. The Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall base its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committees (SEACs) constituted under paragraph 5 of this notification for the Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.

5. To assist the Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli, the Central Government in consultation with the State Government of Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli, hereby constitutes the Union Territory Expert Appraisal Committee, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli (hereinafter in this notification referred to as UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli) comprising of the following Members, namely:-

1.	Dr. (Mrs.) Vaishali J. Nashikkar, Flat No. 604, Plot No. 2, Baba Heritage, Sector- 44A, Nerul (West), Navi Mumbai – 400 706, Maharashtra.	Chairman
2.	Shri Arvind Vispute, 7-Shabdabramha, Purnavad Nagar, Gangapur Road, Nashik – 422 013, Maharashtra.	Member
3.	Assistant Town Planner, Dadra and Nagar Haveli,	Member
4.	Deputy Conservator of Forests (Wild Life), Dadra and Nagar Haveli, Silvasa.	Secretary

6. The Chairman and Members of the UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification dated 14th September, 2006.

8. The UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli Administration shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli and the said Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions of the Authority and UTEAC.

10. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli and the Chairman and Members of the UTEAC, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli shall be paid as per rules of the Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.

[F. No. J-11013/42/2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.13 17:20:58 +05'30'